न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 08/2018 **दायर तारीख :–** 30-01-2018

1. पूरण पुत्र गोपाल जाति बलाई निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर

1/1. श्रीमती नाथी देवी पत्नि पूरण
1/2. सुशीला देवी पुत्री पूरण
1/3. विक्रम कुमार } पुत्रान पूरण
1/4. ब्रजेश कुमार }

} समस्त जाति बलाई निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादी

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 27.01.2021

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण अनुसूचित जाति का सदस्य है, जिसको साबिक खसरा नंबर 4328 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, दिनांक 25.05.1970 को अलाट हुई थी, जिसकी प्रोसिडिंग पेज नंबर 22 पर दिनांक 25.05.1970 दर्ज है। उक्त भूमि सिवायचक थी, जो साबिक नंबर 4328 रकबा 30 बीघा से गैर खातेदारी दर्ज कर दिनांक 24.04.1973 को गैरखातेदारी दी गई थी, जिस पर अलाटी का कब्जा मानकर गैरखातेदारी दी गई है। वादी उक्त भूमि को शुरू से ही काश्त करता आ रहा है, जिसके हाल खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर बने है। वादी ने कृषि कार्य हेतु अपनी पासबुक व जमाबंदी नकल निकलवाई तब श्रीमान के समक्ष 136 के अन्दर उक्त दुरूस्ती हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसका वादी ने दिनांक 30.7.2011 को वापस लेकर उक्त वाद पेश किया है। वादी साबिक नंबर 4328 से हाल खसरा नंबर 3554 बने पर अलाटमेंट के समय से ही काबिज काश्त है, लेकिन खाता संख्या 1327 में खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर किस्म चरागाह दर्ज हो जाने से उक्त वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः निवेदन है कि खाता संख्या 1327 में दर्ज खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम विराटनगर में स्थित कृषि भूमि का वादी को पुराने अलाटमेंट एवं कब्जे एवं नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 24.04.1093 की गैरखातेदारी से दुरूस्ती इन्द्राज कर खसरा नंबर 3554 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि भूमि के कब्जे काश्त में कोई मजामहत पैदा

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

न करें तथा खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर पर कोई भी 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। जवाब सरकार पेश किया गया।

3. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी ग्राम विराटनगर खाता संख्या 1327 संवत् 2065–68 **प्रदर्श–1**, नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम विराटनगर **प्रदर्श–2**, नकल जमांबदी ग्राम विराटनगर संवत 2032–35 **प्रदर्श–3**, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम विराटनगर **प्रदर्श–4**, असल पट्ट गैरखातेदारी जमीन सिवायचक खातेदार पूरण **प्रदर्श–5**, नकल नामान्तकरण जमाबंदी ग्राम बैराठ नामान्तकरण संख्या 862 **प्रदर्श–6**, नकल मिलान क्षेत्रफल वाके ग्राम विराटनगर किता–2 **प्रदर्श–7**, नकल खतौनी जमाबंदी खाता संख्या 1137 किता–2 **प्रदर्श–8**, नकल जमाबंदी ग्राम बैराठ संवत् 2028–2031 **प्रदर्श–9**, नकल नामान्तकरण संख्या 854 दिनांक 01.05.1973 **प्रदर्श–10**, नकल नामान्तकरण संख्या 862 दिनांक 01.05.1973**प्रदर्श–11**, नकल साबिक नक्शा ट्रेस ग्राम विराटनगर **प्रदर्श–12**, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 1068, 1069 किता–2 **प्रदर्श–13**, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 1073, 1074 किता–2 **प्रदर्श–14**, नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 1078 किता–2 **प्रदर्श–15,** नकल हाल खतौनी बंदोबस्त खाता संख्या 1136 किता–4 **प्रदर्श–16,** नकल जमाबंदी ग्राम बैराठ संवत् 2024–2027 किता–2 **प्रदर्श–17,** नकल साबिक खतौनी बंदोबस्त संवत् 2008–2027 **प्रदर्श–18,** नकल जमाबंदी ग्राम विराटनगर खाता संख्या 1058, 1061, 1063, 1068, 1069, 1079, 1028, 1104 संवत् 2032–2035 किता–6 **प्रदर्श–19,** नकल जमाबंदी ग्राम विराटनगर संवत् 2032–2035 **प्रदर्श–20** आदि पेश किए है।

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

4. पैराकार सरकार का जवाब रहा कि ग्राम विराटनगर के खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर जमाबंदी संवत् 2069–2072 के अनुसार चरागाह के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। हाल खसरा नंबर 3554 के साबिक खसरा नंबर 4328 है। यह है कि जरिये नामान्तकरण संख्या 854 दिनांक 01.05.1973 से साबिक खसरा नंबर 4328 रकबा 30 बीघा चरागाह से बारानी अंक स्वीकार हुआ। यह है कि नामान्तकरण संख्या 862 दिनांक 1.05.1973 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 4328 रकबा 30 बीघा में से खसरा नंबर 4328 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा पूरण पुत्र गोपाल बलाई के नाम गैरखातेदारी के रूप में नामान्तकरण स्वीकार हुआ है। साबिक जमाबंदी संवत् 2032–2035 के अनुसार ग्रम विराटनगर के खसरा नंबर 4328/5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा पूरण पुत्र गोपाल बलाई के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। हाल बंदोबस्त ग्राम विराटनगर के साबिक खसरा नंबर 4328 मिन से बने हाल खसरा नंबर 3554 रकबा 0.56 हैक्टेयर चरागाह दर्ज है जो वर्तमान जमाबंदी में भी दर्ज रिकॉर्ड है। हाल मिसल बंदोबस्त में उक्त गैरखातेदारी पुनः चरागाह मे दर्ज हो गई है।

5. प्रकरण में तंनकीयात विवेचित की गई जो बिन्दुवार निम्नानुसार है–

(1). आया कस्बा विराटनगर के साबिक खसरा नंबर 4328 हाल खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर वादी की आवंटन शुदा एवं कब्जे काश्त की भूमि है, जिसे

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

सैटलमेंट द्वारा चरागाह के रूप में गलत दर्ज किया गया है। वादी उक्त आराजी का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है। —जिम्मेवादी

(2). आया वादी आराजी मुतनाजा पर आवंटन 25.05.1970 से लेकर आज दिन तक काबिज काश्त है। वादी, कब्जे काश्त में दखल नहीं करने बाबत प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। —जिम्मेवादी

(3). आया आराजी जेरबहस वादी की आवंटन एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से वादी के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं करने बाबत तहसीलदार को पाबंद किया जावें। —जिम्मेवादी

(4). आया आराजी जेरबहस राजस्व रिकॉर्ड में चरागाह भूमि के रूप में दर्ज है, जो आवंटन किये जाने/खातेदारी दिये जाने से प्रतिबंधित नहीं है। वाद खारिज योग्य है। —जिम्मेप्रतिवादी

(5). दादरसी

6. विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

7. तनकी संख्या 1, 2 व 3 को साबित करने के लिए वादीगण की तरफ से पूरण पुत्र गोपाल, सुगन पुत्र गोपाल, शंकर पुत्र महादेव, के शपथ पत्र पेश किए। एवं गवाह पी.डब्लू. 1 विकम पुत्र पूरणमल नारवाल व गवाह पी.डब्लू. 2 ब्रजेश पुत्र पूरणमल व पी.डब्लू. 3 बनवारी लाल पुत्र नानगराम पेश हुए, बयान पंजीबद्व किए गए।

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर रहा है। वादीगण का तर्क रहा कि वादी को साबिक खसरा नंबर 4328 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा दिनांक 25.05.1970 को अलाट हुई थी, वादी उक्त भूमि को शुरू से ही काश्त करता आ रहा है, जिसके हाल खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर बने है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नंबर 4328 से हाल खसरा नंबर 3542/0.64, 3543/0.38, 3545/0.17, 3554/0.56, 3556/0.13, 3557/0.11, 3561/0.32 हैक्टेयर बने है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065–2068 में खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर चरागाह के रूप में दर्ज रिकॉर्ड हैं। जमाबंदी संवत् 2032–2035 में दर्ज खसरा नंबर 4328/5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी–3 में वादी पूरण पुत्र बलाई के नाम नामान्तकरण संख्या 862 दिनांक 24.04.1973 से गैरखातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है, लेकिन वादी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवंटन से तीन वर्ष तक कब्जे काश्त के आधार पर तहसीलदार से खातेदारी अधिकार क्यों प्राप्त नहीं किये गये। सैटलमेंट द्वारा भूमि कि किस्म सिवायचक से चरागाह कब व कैसे परिवर्तित की गई इस बाबत वादी ने कोई सेटलमेंट की जमाबंदी बतौर साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि सैटलमेंट द्वारा किस्म परिवर्तन किस आधार पर किया गया। चरागाह भूमि आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमि है। वादी ने खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टैयर पर अपने कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, साक्ष्यों के अभाव में वादी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर नहीं साबित होता। वादी ने मौखिक साक्ष्यों में पूरण पुत्र गोपाल, सुगन पुत्र गोपाल, शंकर पुत्र महादेव, ब्रजेश पुत्र पूरण के शपथ पत्र पेश किए। उक्त शपथ पत्रों के आधार पर बिना दस्तावेजी साक्ष्यो के दुरूस्ती किया जाना व

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित नहीं प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर था। आराजी खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065–2068 चरागाह के रूप मे दर्ज रिकॉर्ड है। चरागाह भूमि आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमि है। वादी ने खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर पर अपने कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, साक्ष्यों के अभाव में वादी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर नहीं पाया जाता है। यदि वादी का खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर पर कब्जा है, तो बतौर अतिक्रमी है, जिसके खिलाफ नियमानुसार धारा 91 एल. आर.एक्ट की कार्यवाही होती रही है। वादी ने इतने लंबे समय तक भूमि कि किस्म परिवर्तन बाबत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की है। न ही वादी ने यह स्पष्ट किया कि भूमि किस्म सैटलमेंट द्वारा किस प्रकार परिवर्तित की है। अतः वादी, प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः तनकी संख्या 2 वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 को साबित करने का भार वादी पर रहा। वादी का तर्क रहा कि आराजी मुतनाजा वादी की आंवटन शुदा भूमि है, लेकिन वर्तमान रिकॉर्ड में आराजी मुतनाजा चरागाह में दर्ज है, तथा चरागाह भूमि आंवटन/नियमन से प्रतिबंधित है। सैटलमेंट द्वारा भूमि कि किस्म सिवायचक से चरागाह कब व कैसे परिवर्तित की गई इस बाबत वादी ने कोई सैटलमेंट की जमाबंदी बतौर साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि सैटलमेंट द्वारा किस्म परिवर्तन किस आधार पर किया गया। जमाबंदी संवत् 2032–35 मे वादी के नाम गैरखातेदारी अधिकार दर्ज है, लेकिन वादी ने वर्ष 1973 के बाद कब्जे काश्त के आधार पर तहसीलदार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की है। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्यों से साबित नहीं किया है कि आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा है। वादी के विरूद्व समय–समय पर विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही होती रही है। अतः तनकी संख्या 3 वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा। वादी को साबिक खसरा नंबर 4328 रकबा 30 बीघा में से सिवायचक बारानी में से 2 बीघा 6 बिस्वा भूमि आंवटन होकर गैरखातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 862 दिनांक 01.05.1973 स्वीकार हुई है। ग्राम विराटनगर की जमाबंदी संवत् 2032–2035 में हाल खसरा नंबर 4325/5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा बारानी 3 वादी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक भू–प्रबन्ध मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नबर 4328 मीन से 3554/0.56 हैक्टेयर बना है, वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065–2068 मे खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर भूमि किस्म चरागाह रिकॉर्ड में दर्ज है। पैराकार सरकार ने चरागाह भूमि का आवंटन /नियमन प्रतिबंधित भूमि बताया है तथा इसी आधार पर वादी का वाद खारिज किये जाने का निवेदन किया है, जिससे मैं पूर्णत सहमत हूँ। वादी के द्वारा चाही गई भूमि चरागाह होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाना उचित पाता हूँ। अतः तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

8. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

9. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। सैटलमेंट द्वारा भूमि कि किस्म सिवायचक से चरागाह कब व कैसे परिवर्तित की गई इस बाबत वादी ने कोई सैटलमेंट की जमाबंदी बतौर साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि सैटलमेंट द्वारा किस्म परिवर्तन किस आधार पर किया गया। वादी ने खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर पर अपने कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, साक्ष्यों के अभाव में वादी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर नहीं पाया जाता है। यदि वादी का खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर पर कब्जा है, तो बतौर अतिक्रमी है, जिसके खिलाफ नियमानुसार धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही होती रही है। मुताबिक भू–प्रबन्ध मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नंबर 4328 मीन से 3554/0.56 हैक्टेयर बना है, वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065–68 में खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर भूमि किस्म चरागाह रिकॉर्ड में दर्ज है। रिकॉर्ड चरागाह भूमि का आवंटन/नियमन प्रतिबंधित भूमि है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

वादीगण का वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री तहरीर होवें।

निर्णय दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. पूरण पुत्र गोपाल जाति बलाई निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर
   1/1. श्रीमती नाथी देवी पत्नि पूरण
   1/2. सुशीला देवी पुत्री पूरण
   1/3. विक्रम कुमार } पुत्रान पूरण
   1/4. ब्रजेश कुमार }
   } समस्त जाति बलाई निवासी विराटनगर तहसील विराटनगर

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रतिवादी

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 08/2018 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैराकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि खाता संख्या 1327 में दर्ज खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर वाके ग्राम विराटनगर में स्थित कृषि भूमि का वादी को पुराने अलाटमेंट एवं कब्जे एवं नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 24.04.1093 की गैरखातेदारी से दुरूस्ती इन्द्राज कर खसरा नंबर 3554 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि भूमि के कब्जे काश्त में कोई मजामहत पैदा न करें तथा खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर पर कोई भी 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं करें।

सुना गया सैटलमेंट द्वारा भूमि कि किस्म सिवायचक से चरागाह कब व कैसे परिवर्तित की गई इस बाबत वादी ने कोई सैटलमेंट की जमाबंदी बतौर साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि सैटलमेंट द्वारा किस्म परिवर्तन किस आधार पर किया गया। वादी ने खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर पर अपने कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया, साक्ष्यों के अभाव में वादी का कब्जा आराजी मुतनाजा पर नहीं पाया जाता है। यदि वादी का खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर पर कब्जा है, तो बतौर अतिक्रमी है, जिसके खिलाफ नियमानुसार धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही होती रही है। मुताबिक भू–प्रबन्ध मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नंबर 4328 मीन से 3554/0.56 हैक्टेयर बना है, वर्तमान जमाबंदी संवत् 2065–68 में खसरा नंबर 3554/0.56 हैक्टेयर भूमि किस्म चरागाह रिकॉर्ड में दर्ज है। रिकॉर्ड चरागाह भूमि का आवंटन/नियमन प्रतिबंधित भूमि है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाना उचित पाता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **27.01.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिकी के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर